न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 194/2019/223 (2019/00194)

1. सांवरा पुत्र दल्ला **(फौत)**
   1/1— मूली पत्नि सांवरा । **(अपील विड्रो)**
2. चतुर्भुज पुत्र बालू,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम लामगरा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. कोयली पुत्री दल्ला, जाति जाट, निवासी लामगरा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
2. हंसा पुत्री दल्ला, जाति जाट, निवासी लामगरा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
3. देवीलाल पुत्री दल्ला, जाति जाट, निवासी लामगरा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
5. उप पंजीयक अधिकारी, भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय 31.1.2019 अंतर्गत वाद संख्या 82/2018.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस सं0 2.
2. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट संख्या 1.
3. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
4. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 30.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रतिवादी/अपीलांट व अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम लामगरा, तहसील भिनाय में स्थित विवादित आराजी खाता संख्या 43 के आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 44 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 150 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 168 रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 248 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 254 रकबा 0.05 ह0, खसरा नंबर 499 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 575 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 593 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 800 रकबा 1.90 है0, खसरा नंबर 803 रकबा 0.62 है0, खसरा नंबर 804 रकबा 0.94 है0, खसरा नंबर 806 रकबा 1.07 है0 कुल

किता 13 कुल रकबा 6.43 है0 आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजियात है । उक्त वर्णित आराजियात में वादिया व प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है तथा इसमें अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक, हिस्सा व अधिकार नही है । वादिया एवं प्रतिवादीगण उनके हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात वादिया एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है जो पूर्व में दल्ला पुत्र अर्जुन जो वादिया व प्रतिवादीगण के पिता है के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है । उनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादीगण/अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 के नाम दर्ज कर दी गई जो कि गलत है । विवादित आराजियात वादिया व प्रतिवदीगण की पुश्तैनी आराजियात है इस कारण आराजी के प्रत्येक इंच पर वादिया व प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 का हक, हिस्सा व अधिकार है । अतः वादिया व प्रफोर्मा प्रतिवादी को बतौर सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.2019 को वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादी/अपीलांट ने दिनांक 13.12.2018 को जरिये अभिभाषक वकालतनामा प्रस्तुत किया जिस पर आगामी पेशी दिनांक 20.12.2018 को जवाब हेतु नियत की गई । दिनांक 20.12.2018 को अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जबकि प्रतिवादीगण/अपीलांट ने वकालतनामा पूर्व में ही दिनांक 13.12.2018 को प्रस्तुत कर दिया था इस कारण प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है । किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को जवाबदावा का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर ही वादी का वाद डिक्री किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने राज्य सरकार से बिना जवाब तलब किये ही राज्यहित प्रभावित नहीं होना मानते हुए एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा के आधार पर वादिया का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जबकि राज्य सरकार भी बंटवारे के वाद में भूमिधारी होने से जवाबदावा तलब करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी/अपीलांट विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है इस कारण परीक्षण न्यायालय को वाद में प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर वाद में तनकीयात कायम करके तनकीवार वाद को निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद में बिना जवाबदावा तलब किये एवं बिना तनकीयात कायम किये ही मनमाने तौर पर निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्ण व डिक्री निरस्त किया जाकर वादिया/रेस्पो0 का वाद निरस्त किया जावे ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं थी । प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी गांव में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.5.2019 को बताने पर हुई जिस पर प्रार्थीगण दिनांक 28.5.2019 को भिनाय गया और जानकारी करने पर उक्त निर्णय की पुष्टि हुई जिस पर उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.5.2019 को आवेदन पेश किया । दिनांक 29.5.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर आया और अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 एवं अपीलांटस तथा शेष रेस्पो0 की पैतृक आराजियात है जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होकर उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात पूर्व में दल्ला पुत्र अर्जुन जो कि वादिया के पिता है, के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी किन्तु उनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी गई थी जबकि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का भी विवादित आरायिजात में 1/5 हिस्सा निहित है । दिनांक 20.12.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर आदेशिका पर यह अंकित किया है कि मेरी बहनों को उनके हिस्से की जमीन दे दी जाये तो कोई ऐतराज नहीं है । उक्त आदेशिका पर स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल के हस्ताक्षर है । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वकालतनामा पेश किये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है जो विधिसम्मत् आदेश है । वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 पैतृक आराजियात में निहित हक व हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 कोयली द्वारा अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 3 के विरूद्ध वाद पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजियात है जिसमें प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है किन्तु खातेदार दल्ला की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी गई है जबकि विवादित आराजियात पैतृक होने से वादिया एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 का भी विवादित आराजियात में 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है । दिनांक 20.12.2018 को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल ने उपस्थित होकर आदेशिका के तारीख के कॉलम में यह अंकित कर हस्ताक्षर किये है कि " मेरी बहनों को उनके हिस्से की जमीन दे दी जाये तो कोई ऐतराज नहीं है। " इस प्रकार

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल की स्वंय की स्वीकारोक्ति रही है कि विवादित भूमि में वादिया कोयली पुत्री दल्ला एवं प्रफोमा प्रतिवादी हंसा पुत्री दल्ला का हिस्सा निहित है । अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजियात पैतृक नहीं होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.12.2018 को अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । दिनांक 24.1.2019 को प्रतिवादी संख्या 4 ने अधी0न्याया0 की आदेशिका में अंकित किया है कि प्रकरण में राज0 सरकार आवश्यक पक्षकार न होने एवं राजहित प्रभावित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाब पत्र आवश्यक नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते समयावधि में अपीलांटस द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु कोई चाराजोही नहीं की गई है । विवादित आराजियात पक्षकारान की पैतृक आराजियात है जिसमें वादिया कोयली एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 हंसा पुत्र दल्ला का भी हक व हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0ने प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल की स्वंय की स्वीकारोक्ति के आधार पर वादिया कोयली का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर